५००

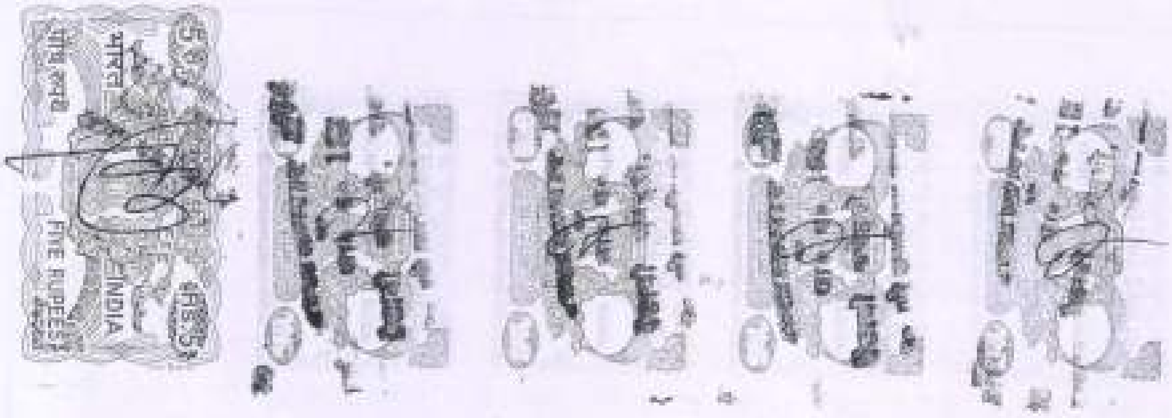

5-13/=

नकल प्रतिलिपि आदेश दिनांक-29/08/2022 न्यायालय उपजिलाधिकारी न्यायिक कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या T202110580306426 अन्तर्गत धारा-80 उ० प्र० रा० संहिता-2006 ग्राम-मुबारकपुर पर० व तह० सदर, रायबरेली।

श्रीमती सुशीला देवी पत्नी देवीला

बनाम

गाँव सभा

आदेश पत्रक
न्यायालय : उपजिलाधिकारी, न्यायिक
मण्डल :लखनऊ,जनपद :रायबरेली,तहसील :रायबरेली
वाद संख्या :-**RST/06426/2021**
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-**T202110580306426**
श्रीमती सुशीला देवी पत्नी छेदीलाल बनाम गांवसभा
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पुकारोपरान्त श्रीमती सुशीलादेवी द्वारा प्रदत्त प्रार्थना पत्र दिनांक 20.08.2022 के क्रम में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का परिशीलन किया गया जिसमें स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत प्रकरण में पूर्व पारित आदेश दिनांक 20.07.2022 में ग्राम मुबारकपुर के जगह टंकण की गलती से कण्डौरा टंकित हो गया जिसे न्यायहित में शुद्ध किया जाना आवश्यक है। अतः पूर्व पारित आदेश दिनांक 20.07.2022 को निरस्तारित करते हुये वाद पुनर्स्थापित किया जाता है। तदनुसार संशोधित आदेश निम्नवत जारी किया जाता है

वादी श्रीमती सुशीला देवी पत्नी छेदी लाल नि0 ग्रा0 पिन्डौली तह0 महाराजगंज जिला रायबरेली इस आशय का (आर0सी0प्रपत्र –25) पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि वादी के नाम ग्राम मुबारकपुर परगना व तहसील सदर रायबरेली स्थित खाता संख्या 00013 की गाटा संख्या 662/0.2500हे0 सम्पूर्ण व गाटा संख्या 664/0.6700हे0 में से 0.4020 हे0 व गाटा संख्या 665/0.1070हे0 सम्पूर्ण योग तीन किता रकबा 0.7590हे0 खातेदार संकमणीय भूमिधर के रूप में अभिलेखों में अंकित है। उक्त गाटे के रकबा 0. 7590हे0 क्षेत्रफल पर भवन व बाउण्ड्रीय वॉल निर्मित है, अतः अन्त में व्यवसायिक/अकृषक घोषित किये जाने की याचना की गयी है।

प्रकरण की जाँच तहसील सदर रायबरेली से करायी गई है। तहसीलदार सदर रायबरेली द्वारा स्थलीय जाँच कर अपनी आख्या दिनांक 01.07.02021 को प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार सदर रायबरेली द्वारा अपनी आख्या मे उल्लेख किया गया है कि ग्राम मुबारकपुर परगना व तहसील सदर रायबरेली की खतौनी सन् 1424 से 1429फ0 के खाता संख्या 00013 की गाटा संख्या 662/0.2500हे0 सम्पूर्ण व गाटा संख्या 664/0.6700हे0 में से 0.4020 हे0 व गाटा संख्या 665/0.1070हे0 सम्पूर्ण योग तीन किता रकबा 0. 7590हे0 पर बतौर संकमीणय भूमिधर अंकित है जिसमें आवेदक का सम्पूर्ण हिस्सा है। प्रार्थिनी का रकबा 0. 7590हे0 पर भवन व बाउण्ड्री वॉल निर्मित है। उक्त गाटे के रकबा 0.7590हे0 क्षेत्रफल पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, तथा व्यवसायिक/आवासीय प्रयोग में लाया जा रहा है। जिसकी पुष्टि में स्थल का फोटोग्राफ संलग्न किया है। आकृति के साथ जो0च0आकार पत्र 41 व 45 की प्रति संलग्न किया है। खाता संख्या 00013 की गाटा संख्या 662/0.2500हे0 सम्पूर्ण व गाटा संख्या 664/0.6700हे0 में से 0.4020 हे0 व गाटा संख्या 665/0.1070हे0 सम्पूर्ण योग तीन किता रकबा 0.7590हे0 क्षेत्रफल कृषिक दर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार रकबा 0.7590हे0 की मालियत के अनुसार 1 प्रतिशत की दर से 28083.00 रू0 होता है। इस प्रकार कुल 28083.00 रू0 उद्घोषणा शुल्क तथा न्याय शुल्क के रूप में 28083.00 रू0 का जुडीशियल स्टाम्प जमा करा कर खाता संख्या 00013 की गाटा संख्या 662/0. 2500हे0 सम्पूर्ण व गाटा संख्या 664/0.6700हे0 में से 0.4020 हे0 व गाटा संख्या 665/0.1070हे0 कुल रकबा 0.7590हे0 क्षेत्रफल कृषि प्रयोजन से भिन्न होने के कारण उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गई। वादी से निर्धारित उद्घोषणा शुल्क मु0– 28083.00 रू0 जमाकर जमा चालान की प्रति एवं न्याय शुल्क के रूप में 28083.00 रू0 का जुडीशियल स्टाम्प जमा कराया गया है, जो सलंग्न पत्रावली है।

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी, न्यायिक
मण्डल :लखनऊ,जनपद:रायबरेली, तहसील :रायबरेली
वाद संख्या: -RST/06426/2021
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202110580306426
श्रीमती सुशीला देवी पत्नी छेदीलाल बनाम गांवसभा
अंतर्गत धारा :- 80, अधिनियम :-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। जांच आख्या में उल्लेख किया गया है कि ग्राम-मुबारकपुर परगना व तहसील सदर रायबरेली की खतौनी सन् 1424फ0 से 1429फ0 के खाता संख्या 00013 की गाटा संख्या 662/0.2500हे0 सम्पूर्ण व गाटा संख्या 664/0.6700हे0 में से 0.4020 हे0 व गाटा संख्या 665/0.1070हे0 सम्पूर्ण तीन किता कुल रकबा 0.7590हे0 क्षेत्रफल पर मौके पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है उक्त भूखण्ड पर भवन बाउण्ड्री वॉल निर्मित है। जांच आख्या के साथ संलग्न नजरी नक्शा में प्रस्तावित भूमि को नीली स्याही से प्रदर्शित किया गया है। वर्णित स्थितियों में प्रश्नगत भूमि को अकृषित घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर स्पष्ट है कि प्रस्तावित भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है तहसीलदार सदर की आख्या से स्पष्ट है कि वाद ग्रस्त भूमि सार्वजनिक श्रेणी की भूमि नहीं है। तहसीलदार सदर रायबरेली द्वारा अपनी जांच आख्या में भी इसकी पुष्टि की है। प्रस्तावित भूमि को आकृषिक घोषित किया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

संशोधित आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं तहसीलदार सदर द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या के आधार पर ग्राम मुबारकपुर परगना व तहसील सदर रायबरेली की खतौनी सन् 1424फ0 से 1429फ0 के खाता संख्या 00013 की गाटा संख्या 662/0.2500हे0 सम्पूर्ण व गाटा संख्या 664/0.6700हे0 में से 0.4020 हे0 व गाटा संख्या 665/0.1070हे0 सम्पूर्ण तीन किता कुल रकबा 0.7590हे0 पर भवन व बाउण्ड्री वॉल मुबारकपुर परगना व तहसील सदर रायबरेली, जिला रायबरेली को धारा-80(1) उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत अकृषित घोषित की जाती है। संलग्न नजरी नक्शा आदेश का अंग रहेगा। तदनुसार परवाना अमलदरामद निर्गत किया जाये। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक रायबरेली को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली रक्षित अभिलेखागार हो।

29/8/2022
(जीतलाल)
उपजिलाधिकारी (न्यायिक)
तह0-सदर, रायबरेली।

उक्त आदेश आज दिनांक 29.8.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में उद्घोषित हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

29/8/2022
उपजिलाधिकारी (न्यायिक)
तह0-सदर, रायबरेली।

प्रार्थना पत्र संख्या 576
प्रार्थना पत्र का दिनांक 5/09/22
तैयारी का दिनांक 5/09/22
जारी करने का दिनांक 5/09/22
शब्दों की संख्या 600
हस्ताक्षर

सत्यापित
05/9/22
उप जिलाधिकारी
सदर (न्यायिक)-रायबरेली

5-16/=

नकल प्रतिलिपि आदेश दिनाँक - 20/07/2022
न्यायालय उपजिलाधिकारी न्यायिक कम्प्यूटरीकृत
वाद संख्या T 201910580305055 अन्तर्गत
धारा- 80 उ० प्र० रा० संहिता - 2006 ग्राम मुबारकपुर
पर० व तह० सदर, रायबरेली।

चौधरी दीन दयाल शिक्षा संस्थान
बनाम
गाँव सभा

आदेश पत्रक
न्यायालय : उपजिलाधिकारी, न्यायिक
मण्डल :लखनऊ,जनपद :रायबरेली,तहसील :रायबरेली
वाद संख्या:-RST/05055/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201910580305055
चौधरी दीन दयाल शिक्षा संस्थान बनाम गांवसभा
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

वादी चौधरी दीन दयाल शिक्षा संस्थान रतापुर रायबरेली प्रबन्धक उमाशंकर चौधरी एडवोकेट पुत्र स्व० दीनदयाल चौधरी निवासी रतापुर शहर रायबरेली परगना व तहसील सदर रायबरेली, जिला रायबरेली द्वारा इस आशय का (आर०सी०प्रपत्र–25) पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वादी के नाम ग्राम मुबारकपुर परगना व तहसील सदर रायबरेली स्थित खाता संख्या 00024 की गाटा संख्या 667/0.1980हे० में से बकदर हिस्सा रकबा 0.1260हे० व खाता संख्या 00298 की गाटा संख्या 669/0.2370हे० में से 0.1260हे० दो किता कुल रकबा 0.2520हे० खातेदार संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अभिलेखों में अंकित है। उक्त गाटे के रकबा 0.2520हे० क्षेत्रफल पर भवन व बाउण्ड्रीय वॉल निर्मित है, अतः अन्त में व्यवसायिक/अकृषक घोषित किये जाने की याचना की गई है।

प्रकरण की जाँच तहसील सदर रायबरेली से करायी गई। तहसीलदार सदर रायबरेली द्वारा स्थलीय जाँच कर अपनी आख्या दिनांक 15.11.2019 को प्रस्तुत की गई। तहसीलदार सदर रायबरेली द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया गया है कि ग्राम मुबारकपुर परगना व तहसील सदर रायबरेली की खतौनी सन् 1424 से 1429फ0 के खाता संख्या 00024 की गाटा संख्या 667/0.1980हे० में से बकदर हिस्सा रकबा 0.1260हे० व खाता संख्या 00298 की गाटा संख्या 669/0.2370हे० में से 0.1260हे० कुल रकबा 0.2520हे० पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है जिसमें आवेदक का कुल रकबा 0.2520हे० बकदर हिस्सा है। प्रार्थी का रकबा 0.2520हे० पर चौधरी दीनदयाल शिक्षा संस्थान का भवन व बाउण्ड्री वॉल निर्मित है। उक्त गाटे के रकबा 0.2520हे० क्षेत्रफल पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, तथा व्यवसायिक/आवासीय प्रयोग में लाया जा रहा है। जिसकी पुष्टि में स्थल का फोटोग्राफ संलग्न किया है। आकृति के साथ जो०च०आकार पत्र 41 व 45 की प्रति संलग्न किया है। खाता संख्या 00024 की गाटा संख्या 667/0.1980हे० में से बकदर हिस्सा रकबा 0.1260हे० व खाता संख्या 00298 की गाटा संख्या 669/0.2370हे० में से 0.1260हे० कुल रकबा 0.2520हे० क्षेत्रफल कृषिक दर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार रकबा 0.2520हे० की मालियत के अनुसार 1 प्रतिशत की दर से 9324.00 रू0 होता है। इस प्रकार कुल 9324.00 रू0 उद्घोषणा शुल्क तथा न्याय शुल्क के रूप में 9324.00 रू0 का जुडीशियल स्टाम्प जमा करा कर खाता संख्या खाता संख्या 00024 की गाटा संख्या 667/0.1980हे० में से बकदर हिस्सा रकबा 0.1260हे० व खाता संख्या 00298 की गाटा संख्या 669/0.2370हे० में से 0.1260हे० कुल रकबा 0.2520हे० क्षेत्रफल कृषि प्रयोजन से भिन्न होने के कारण उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा–80 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गई। वादी से निर्धारित उद्घोषणा शुल्क मु0– 9324.00रू0 जमाकर' जमा चालान की प्रति एवं न्याय शुल्क के रूप में 9324.00 रू0 का जुडीशियल स्टाम्प जमा कराया गया है, जो संलग्न पत्रावली है।

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी, न्यायिक
मण्डल :लखनऊ,जनपद :रायबरेली,तहसील :रायबरेली
वाद संख्या :-RST/05055/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201910580305055
चौधरी दीन दयाल शिक्षा संस्थान बनाम गांवसभा
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम:- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। जांच आख्या में उल्लेख किया गया है कि ग्राम–मुबारकपुर परगना व तहसील सदर रायबरेली की खतौनी सन् 1424फ0 से 1429फ0 के खाता संख्या 00024 की गाटा संख्या 667/0.1980है0 में से बकदर हिस्सा रकबा 0.1260है0 व खाता संख्या 00298 की गाटा संख्या 669/0.2370है0 में से 0.1260है0 कुल रकबा 0.2520है0 क्षेत्रफल पर मौके पर कृषि कार्य नही किया जाता है उक्त भूखण्ड पर चौधरी दीन दयाल शिक्षा संस्थान का भवन व बाउण्ड्री वॉल निर्मित है। जांच आख्या के साथ संलग्न नजरी नक्शा में प्रस्तावित भूमि को नीली स्याही से प्रदर्शित किया गया है। वर्णित स्थितियों में प्रश्नगत भूमि को अकृषित घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती हैं।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर स्पष्ट है कि प्रस्तावित भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है तहसीलदार सदर की आख्या से स्पष्ट है कि वाद ग्रस्त भूमि सार्वजनिक श्रेणी की भूमि नहीं है। तहसीलदार सदर रायबरेली द्वारा अपनी जांच आख्या में भी इसकी पुष्टि की है। प्रस्तावित भूमि को आकृषिक घोषित किया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं तहसीलदार सदर द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या के आधार पर ग्राम मुबारकपुर परगना व तहसील सदर रायबरेली की खतौनी सन् 1424फ0 से 1429फ0 के खाता संख्या 00024 की गाटा संख्या 667/0.1980है0 में से बकदर हिस्सा रकबा 0.1260है0 व खाता संख्या 00298 की गाटा संख्या 669/0.2370है0 में से 0.1260है0 कुल रकबा 0.2520है0 पर चौधरी दीन दयाल शिक्षा संस्थान का भवन व बाउण्ड्री वॉल मुबारकपुर परगना व तहसील सदर, रायबरेली जिला रायबरेली को धारा–80(1) उ0प्र0 राजस्व संहिता– 2006 के अन्तर्गत अकृषित घोषित की जाती है। संलग्न नजरी नक्शा आदेश का अंग रहेगा। तदनुसार परवाना अमलदरामद निर्गत किया जाये। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक रायबरेली को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली रक्षित अभिलेखागार हो।

20/7/2022
(जीतलाल)
उपजिलाधिकारी (न्यायिक)
तह0–सदर, रायबरेली।

उक्त आदेश आज दिनांक 20-7-2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में उद्घोषित हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

प्रार्थना पत्र संख्या 480
प्रार्थना पत्र का दिनांक 22/07/22
तैयारी का दिनांक 22/07/22
जारी करने का दिनांक 22/07/22
शब्दों की संख्या 270
हस्ताक्षर

सत्यापित
22/07/22
उप जिलाधिकारी
सदर (न्यायिक)–रायबरेली

20/7/2022
उपजिलाधिकारी (न्यायिक)
तह0–सदर, रायबरेली।